(वाद संख्या–7174/18)

01.07.2020

प्रसंगाधीन मामला प्रथम सूचक बुंदी सिंह के पुत्र अवधेश कुमार की हत्या कर ट्रक सहित माल लूट लेने से संबंधित भा0द0स0 की धाराओं 302/392 (आरोप–पत्र में परिवर्तित भा0द0स0 की धारा–396) के अन्तर्गत संस्थित चकिया थाना कांड संख्या–06/2012, दिनांक–08.01.2012 के अन्तर्गत परिवादीगण (हीरा सहनी व उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी) को बिना किसी ठोस/युक्तिसंगत आधार के अनुसंधानकर्त्ता, पु0अ0नि0, विनय कुमार सिंह, द्वारा दिनांक–14.12.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के अपने प्रतिवेदन–4 में परिवादीगण को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने हेतु माननीय न्यायालय में अविलम्ब प्रतिवेदन समर्पित करने के निर्देश देने के बावजूद भी अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0, विनय कुमार सिंह द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने से संबंधित है।

परिवादी के परिवाद–पत्र व पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी के प्रतिवेदनानुसार मामले से संबंधित तथ्य इस प्रकार है :–

1. बुंदी सिंह द्वारा अपने पुत्र अवधेश कुमार की हत्या कर ट्रक सहित माल लूट लेने के आरोप में भा0द0स0 की धाराओं 302/392 के अन्तर्गत चकिया थाना कांड संख्या–06/2012, दिनांक–08.01.2012 संस्थित किया गया। अनुसंधान के क्रम में पांच अप्राथमिकी अभियुक्तों 1. विनोद कुमार झा, 2. विनय कुमार सिंह, 3. अशोक कुमार गुप्ता 4. भोला सहनी उर्फ रौशन कुमार तथा 5. योगेन्द्र सहनी की संलिप्तता को सत्य पाया गया। बाद में गिरफ्तार अप्राथमिकी अभियुक्तों, भोला सहनी उर्फ रौशन कुमार तथा योगेन्द्र सहनी के संस्वीकृति बयान के आधार पर दोनों परिवादीगण सहित अन्य दस अप्राथमिकी अभियुतों की संलिप्तता प्रकाश में आयी। मात्र सह अभियुक्तों के संस्वीकृति बयानों के आधार पर प्रसंगाधीन कांड के अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0, विनय कुमार सिंह द्वारा दोनों परिवादीगण को दिनांक–14.12.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत मात्र संस्वीकृति बयान के आधार पर किसी को तबतक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जबतक उक्त बयान के आधार पर कोई वस्तु/सामग्र प्राप्त नहीं होती है। बाद में यह तथ्य उजागर हुआ कि परिवादी हीरा सहनी व अप्राथमिकी अभियुक्त योगेन्द्र सहनी आपस में गोतिया है तथा उनके बीच वर्ष, 2009–10 से जमीनी विवाद चल रहा है, जिसमें परिवादी हीरा सहनी के फर्द बयान के आधार पर अप्राथमिकी अभियुक्त योगेन्द्र सहनी व उनके भाईयों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं,144/ 148/ 149/ 341/ 324/ 325/ 307/ 504/ 379 के अन्तर्गत मोतीपुर थाना कांड संख्या–384/17 संस्थित हुआ था। अग्रेत्तर अनुसंधान में पुलिस को दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंगाधीन कांड में उनके संलिप्तता के संबंध में **कोई ठोस साक्ष्य** प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा अपने प्रतिवेदन–4 में परिवादीगण को निर्दोष पाया गया व अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0, विनय कुमार सिंह के विरूद्ध धारा 828 (सी0) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उनके विरूद्ध आरोप–प्रारूप गठन करने का आदेश दिया गया तथा गिरफ्तार उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने हेतु न्यायालय में अविलम्ब प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

परिवादीगण का कथन है कि आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के उपरोक्त निर्देश के बावजूद भी अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0, विनय कुमार सिंह द्वारा न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने हेतु कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया, अपितु उन दोनों का नाम आरोप–पत्र के अनुप्रेषित अभियुक्तों की सूची में इस आधार पर दे दिया गया कि इनके विरूद्ध साक्ष्य नहीं पाया गया है।

उक्त के आलोक में पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की जाय :–

1. पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के निर्देश के आलोक में अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0, विनय कुमार सिंह द्वारा परिवादीगण को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने हेतु न्यायालय में किस तिथि को प्रतिवेदन समर्पित किया गया तथा वे दोनों अभियुक्त किस तिथि को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त हुए ?

2. प्रसंगाधीन कांड के अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0, विनय कुमार सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का क्या निष्कर्ष हुआ ?

3. परिवादीगण की पारिवारिक व आर्थिक स्थिति क्या है ?

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर दिनांक–14.09.2020 के पूर्व आयोग को प्रतिवेदन देने हेतु पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को निर्देशित किया जाय।

परिवादी को भी आज पारित आदेश की प्रति संलग्न कर उक्त निश्चित तिथि को ससमय आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस भी निर्गत किया जाय।

सुनवाई हेतु संचिका दिनांक–14.09.2020 को उपस्थापित किया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक